



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2012/ज्येष्ठ 21, 1934

No. 272]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2012/JYAISTHA 21, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

सा.का.नि. 440(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2011 की अनुसूची में-

(क) प्रधान निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने की प्रविष्टियों में, स्तंभ 11 के नीचे "विधि में डिग्री" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, क्रमशः "स्नातक डिग्री" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक श्रेणी-ग)कोर्ट मास्टर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने की प्रविष्टियों में, (i) स्तंभ 6 के नीचे “21-27 वर्ष” अंकों और शब्द के स्थान पर “21-30 वर्ष” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; (ii) स्तंभ 7 के नीचे, -(अ) “न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री” शब्दों के स्थान पर “स्नातक की डिग्री” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री” ।

(ग) लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 12 के सामने की प्रविष्टियों में, स्तंभ 11 के नीचे “(ग्रेड वेतन-4800 रु०) के पद पर 8 वर्ष” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “(ग्रेड वेतन-4600 रु०) के पद पर 3 वर्ष” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (जिल्द II)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक 458(अ), तारीख 17 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2012

G.S.R. 440(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011 namely:-

- 1. (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011;

(a) in the entries against serial number 6 relating to the post of Principal Private Secretary, under column 11, for the words "Degree in Law" at both the places where they occur, the words "Bachelor's Degree" shall respectively be substituted;

(b) in the entries against serial number 8 relating to the post of PA (Stenographer Grade C)/Court Master, (i) under column 6, for the figures and words "21-27 years", the figures and words "21-30 years" shall be substituted; (ii) under column 7, - (A) for the words and figures "Degree in Law with at least 55% marks", the words "Bachelor's Degree" shall be substituted;

(B) the following shall be inserted at the end, namely :-
"Desirable: Degree in Law from a recognised University".

(C) in the entries against serial number 12 relating to the post of Accounts Officer, under column 11, for the brackets, letters, figures and words "(GP-4800) with 8 years", the brackets, words and figures "(Grade Pay Rs. 4600) with 3 years" shall be substituted.

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (Vol. II)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number 458 (E) dated the 17th June, 2011.